न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद

उनवान संख्या 1/15 | तारीख दायरा 08.01.2015 | तारीख फैसला 27.02.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

रामस्वरूप पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी पारलिया तहसील दीगोद, हाल 1607, बसन्त बिहार, कोटा जिला कोटा

– प्रार्थी

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र गुडक्या जाति मीणा निवासी पारलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (डिलीट)
2. हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी पारलिया हाल मोतीनगर, बोरखेडा कोटा
3. मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा
4. जितेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा
5. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा
6. सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा
7. मनीष पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासीगण पारलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अभिभाषक –

1. श्री शिवप्रसाद शर्मा प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रमोद चौधरी प्रतिपक्षी न0 1 ता 7 की ओर से

–:: निर्णय ::–

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि पक्षकारान की पुश्तेनी आराजी ग्राम डगारिया तहसील दीगोद में ख0नं0 184 रकबा 3.44 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। जो प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें में दर्ज है। पक्षकारान की पुश्तेनी भूमि थी पन्नालाल द्वारा अपनें पूर्वजों से प्राप्त भूमि में अपनें तीनों पुत्र प्रार्थी रामस्वरूप व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 को दे दी जो तीनों अपनें अपनें हिस्से में आयी भूमि पर काबिज काश्त है व शेष अपनें खातें में विवादित भूमि ख0नं0 184 रकबा 3.44 हे0 भूमि रखी। उक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है जिसका कि पन्नालाल द्वारा प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 के मध्य 1/3–1/3 हिस्सा का बंटवारा कर दिया कि जब तक पन्ना जीवित रहेंगे तब तक उक्त भूमि उनके नाम रहेगी व उनकी मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 के 1/3–1/3 हिस्से में आयेगी। जिस पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा 1/3–1/3 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रतिपक्षी नं0 1 काफी वृद्ध व्यक्ति है प्रतिपक्षी नं0 3 लडाकू झगडालू किस्म का व्यक्ति है और आये दिन झगडा फसाद करता रहता है व अपनें हिस्से में आयी खातें में दर्ज भूमि का बैचान कर चुका है। प्रतिपक्षी नं0 4 ता 7 प्रतिपक्षी नं0 3 के पुत्र है। प्रार्थी को जानकारी मिली है कि प्रतिपक्षी नं0 3 प्रतिपक्षी नं0 1 जो काफी वृद्ध व्यक्ति है जो चलनें फिरनें व सुननें में असक्षम व्यक्ति है जिनको सोचनें समझनें की शक्ति नहीं है जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अपनें पुत्रों प्रतिपक्षी नं0 4 ता 7 के नाम वसीयत व दान, बैचान करानें पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है व परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि आराजीयात की है। प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी नं0 3 ता 7 की बदनियती का ज्ञान होनें पर उसके द्वारा प्रतिपक्षी नं0 1 से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 का नाम साथ अंकित करानें को दिनांक 30.12.2014 को कहा तो प्रतिपक्षीगण द्वारा मना कर दिया तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा धमकी दी गई कि वे उक्त भूमि को शीघ्र ही प्रतिपक्षी नं0 4 ता 7 के नाम वसीयत, दान बैचान व अन्तरण अथवा खुर्द बुर्द कर देंगे। प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 को राजस्व रिकॉर्ड में साथ नाम दर्ज नहीं करवाया व खातेदार घोषित नहीं करवाया और प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा को

Scanned by CamScanner

गलत रूप से प्रतिपक्षी नं0 3 ता 7 के नाम रहन, बैचान अन्तरण वसीयत दान आदि कर दिया गया अथवा खुर्द बुर्द कर दिया व प्रार्थी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करनें दिया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी प्रार्थी अपनें अधिकारों व साम्पत्तिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थी का केस प्राइमा फेसी केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि, प्रतिपक्षीगण उपरोक्त ग्राम डगारिया तहसील दीगोद की ख0नं0 184 की 3.44 हे0 भूमि को तथा उसके किसी भाग को रहन, बैचान, दान, वसीयत व अन्तरण व खुर्द बुर्द नहीं करें और करावे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करनें से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से ही करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 कम 1 ता 7 द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रति0 न0 1 ता 7 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर विशेष आपत्तियां अंकित की कि, प्रार्थी ने सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होनें योग्य है। प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण भी वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होनें योग्य है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है इस कारण बिना नोटिस दिये वाद व प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नहीं है व खारिज होनें योग्य है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2–3 प्रतिपक्षी नं0 1 के पुत्र है जिनको प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपनें खातें की भूमि में से 20–20 बीघा भूमि देकर अपनें अलग खातें दर्ज करवा दी है। जिसमें से प्रार्थी के खातें में वर्तमान ख0नं0 243 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 248 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 255 रकबा 0.56 हे0, ख0नं0 403 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 422 रकबा 1.20 हे0 कुल किता 5 रकबा 3.45 हे0 भूमि दर्ज करवा दी जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नं0 2 के खातें में 20 बीघा भूमि दर्ज करवा दी थी, जिसमें से वर्तमान ख0नं0

Scanned by CamScanner

404 रकबा 1.29 हे0, ख0नं0 428 रकबा 1.20 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.49 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रतिपक्षी नं0 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नं0 3 के खातें में 20 बीघा भूमि दर्ज करवा दी थी जिसमें से वर्तमान ख0नं0 405 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 427 रकबा 1.20 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रतिपक्षी नं0 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसमें से प्रतिपक्षी नं0 3 ने ख0नं0 405 की भूमि छीतरलाल को बैचान कर दी। इस प्रकार तीनों पुत्रों के खातें भूमि दर्ज करानें के बाद शेष भूमि ख0नं0 184 रकबा 3.44 हे0 भूमि अपनें पास रखी थी। जो प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें दर्ज चली आ रही है। जिसका सभी प्रकार से उपयोग व उपभोग करनें व रहन, बैचान व अन्तरण आदि करनें का अधिकार प्रतिपक्षी नं0 1 को प्राप्त है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार व स्वत्व नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थी को कोटा नगर में मकान खरीद कर दिलवाया किन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी प्रतिपक्षी नं0 1 की सेंवा नहीं करता है इसके विपरीत प्रतिपक्षी नं0 1 के बीमार होनें पर प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा ही एक बार दो लाख रू0 व एक बार एक लाख रू0 इलाज में खर्च किये है तथा प्रतिपक्षी नं0 3 व उसके पुत्र प्रतिपक्षी नं0 1 की सेंवा सुश्रुषा करते है। इस कारण प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपनी स्वेच्छा से अपनें खातें की भूमि की वसीयत प्रतिपक्षी नं0 7 के पक्ष में दिनांक 20.11.2014 को आलेखित कर उपपंजीयक दीगोद के यंहा पंजीयन करवा दी है। प्रतिपक्षी नं0 1 दिनांक 20.11.2014 को पूर्ण रूप से सोचनें समझनें में सक्षम था तथा अपनी स्वेच्छा व अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थ अवस्था में बिना किसी दाब दबाव के उक्त वसीयत आलेखित कर गवाही गवाहान के समक्ष की है। जिस पर अपना निशान अंगूठा लगाया है व गवाहान ने अपनें हस्ताक्षर किये है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 को अपनें हिस्से की भूमि की वसीयत करनें का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो पूर्ण रूप से वैध है। माननीय न्यायालय को वसीयत निरस्त करनें का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें की भूमि में प्रार्थी व अन्य किसी पुत्रों का कोई अधिकार नहीं है। क्योकि उनको पहले ही भूमियां प्रतिपक्षी नं0 1 ने देकर खातें दर्ज करवा दी है इस कारण प्रार्थी को वाद व प्रार्थना पत्र लानें का कोई अधिकार नहीं होनें से वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होनें योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपनें खातें की भूमि ख0नं0 184 रकबा 3.44 हे0 भूमि का विभाजन कभी भी नहीं किया और न कब्जा किसी को दिया है। प्रतिपक्षी नं0 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को तंग व परेशान करनें की

Scanned by CamScanner

नियत से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण प्रतिपक्षीगण प्रार्थी से विशेष हर्जाना प्राप्त करनें के अधिकारी है। प्रार्थी का केस प्राइमाफेसी केस नहीं है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और न अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

जवाब प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पक्षकारान् को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये। साक्ष्य में पक्षकारान् द्वारा निम्न दस्तावेजात्/ साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डगारियां सं0 2070–73 खाता नं0 49
2. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डगारियां सं0 2070–73 खाता नं0 93
3. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डगारियां सं0 2070–73 खाता नं0 140
4. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डगारियां सं0 2070–73 खाता नं0 115
5. छायाप्रति प्रतिलिपि वसियतनामा दिनांकित 20.11.2014

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब के कथनों को दौहराया। दौरानें बहस वकील प्रार्थी द्वारा कथन किये गये कि विवादित आराजी ख0नं0 184 रकबा 3.44 हे0 वाके ग्राम ढगारिया मूल रूप से पन्नालाल की पुश्तेनी आराजी है। पन्नालाल के तीन पुत्र कमशः हीरालाल, रामस्वरूप व मोहनलाल है। दौरानें वाद पन्नालाल की मृत्यु हो गई, दावा उनके जीवन काल में ही प्रस्तुत कर दिया था। पन्नालाल नें अपनें जीवन काल में एक वसीयत मनीष कुमार के नाम आलेखित कर दी। उक्त वसीयत केंसिलेशन का दावा सिविल कॉर्ट में जैरकार है। यदि स्थगन नहीं दिया गया तो इंतकाल दर्ज होनें के बाद भूमि का बैचान हो सकता है, उक्त आराजी इनमिडियो है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण ने बहस में कथन किये कि दावा पन्नालाल के जीवन काल में प्रस्तुत किया गया था। पन्नालाल नें अपनें जीवन काल में 20–20 बीघा भूमि तीनों

Scanned by CamScanner

पुत्रों को देकर उनके खातें दर्ज करवा दी थी तथा मौके पर कब्जा भी संभला दिया था और ख0नं0 184 की भूमि स्वयं पन्नालाल नें अपनें पास रखी थी। पन्नालाल की सेवा सुश्रुषा मोहनलाल के पुत्र मनीष द्वारा की गई थी, जिससे पन्नालाल नें एक रजिस्टर्ड वसीयत मोहनलाल के पुत्र मनीष के नाम दिनांक 20.11.2014 को आलेखित की। यदि पन्नालाल निर्वसीयती मरता तो फोती इंतकाल खुलता, किन्तु पन्नालाल द्वारा वसीयत की गई है परन्तु प्रार्थी द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेनें से उक्त वसीयत का इंतकाल नहीं खुल पाया है। प्रार्थी नें अपनें प्रार्थना पत्र में यह तथ्य स्वीकार किया है कि पन्नालाल नें अपनें सभी पुत्रों को भूमि बंटवारें अनुसार दे दी थी। बंटवारें के बाद शेष भूमि पर पन्नालाल एब्सोल्यूट खातेदार थे। वर्तमान में विवादित आराजी पर काश्त हमारें द्वारा ही की जा रही है, केवल मात्र इंतकाल रोकनें के लिए दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

बहस रिपीटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी नें कथन किये कि मोहनलाल द्वारा अपनी भूमि का बैचान किया जा चुका है। 20 बीघा भूमि को मोहनलाल द्वारा ही काश्त कर लाभ लिया जा रहा था। जमीन के पुश्तेनी होनें का तथ्य भी अप्रार्थी ने स्वीकारा है। मोहनलाल आदतन शराबी है व अपनी सम्पूर्ण भूमि बैचान करनें पर आमादा है। पन्नालाल के स्वास्थ्य पर खर्च किये गये रूपयों बाबत् कोई दस्तावेंज प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया।

विवादित भूमि वाके माल ढगारियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 184 के वर्तमान में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 के पिता पन्नालाल (मृतक) अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त भूमि की प्रतिपक्षी नं0 1 पन्नालाल द्वारा अपनें जीवन काल में रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिपक्षी नं0 7 मनीष कुमार के पक्ष में दिनांक 20.11.2014 आलेखित कर दी गई, जिसकी प्रमाणिकता पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड वसीयत की छायाप्रति से होती है। चूंकि विवादित भूमि पन्नालाल की खातेदारी आराजी है, जिसकी वसीयत पन्नालाल द्वारा आलेखित कर दी गई थी, किन्तु प्रार्थी का यह कथन कि पन्नालाल को

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि की वसीयत करनें की अधिकारिता नहीं थी क्योकि उक्त भूमि पुश्तेनी थी। पन्नालाल के खातें में विवादित आराजी के दिगर अन्य भूमियां भी स्थित थी, जिसका बंटवारा पन्नालाल नें अपनें जीवन काल में करते हुए, अपनें तीनों पुत्रों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन कर मौके पर कब्जा भी सम्भला दिया था और ख0नं0 184 की भूमि स्वयं अपनें पास रखी थी। उक्त तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रतिपक्षी न0 1 पन्नालाल (मृतक) खातेदार है, जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिपक्षी नं0 7 के पक्ष में आलेखित है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है।

विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी पन्नालाल ने अपनें तीनों पुत्रों के मध्य पूर्व में ही भूमि का विभाजन कर दिया था, तथा विभाजन में प्राप्त भूमि पर पन्नालाल के तीनों पुत्र काबिज काश्त थे। विवादित भूमि स्वयं पन्नालाल नें अपनें पास रखी थी, जिसका उपयोग–उपभोग स्वयं पन्नालाल करता था। इस प्रकार प्रार्थी को विवादित भूमि पर काबिज़ माना जाना साक्ष्याभाव में उचित नहीं पाया गया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण नें न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2008 (SC) Page No. 364 Bhanwar Singh V/S Puran & Ors प्रस्तुत किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " Hindu Succession Act, 1996-Secs. 6 & 8- Joint family property-Suit filed to set aside the sale on the ground that sale was not for legal necessity-After partition properties mutated in the name of 's' and his three sisters-Father of plaintiff sold the properties in question-After partition properties loses character of joint family property-sec. 6 was not applicable to case-'S' and his sisters were tenants in common and not as joint tenants and each had right to transfer the lands of their share-Held, Suit rightly dismissed by the First Appellate Court."

प्रस्तुत प्रकरण पर श्रीमती सुमित्राबाई बनाम बृजमोहन , आर0आर0डी02000 पेज 28 की नजीर चस्पा होती है जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि " ***सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से*** "प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिपक्षी नं0 1 मृतक पन्नालाल रिकार्डेड खातेदार है।

Scanned by CamScanner

जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिपक्षी नं0 7 के पक्ष में आलेखित है तथा उभयपक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि पन्नालाल के जीवित रहनें तक ख0नं0 184 पर स्वयं पन्नालाल ही काबिज थे। चूंकि पन्नालाल प्रतिपक्षी नं0 3 मोहनलाल के पास ही निवास करते थे तथा मोहनलाल के पुत्र प्रतिपक्षी नं0 7 मनीष के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करनें से पन्नालाल की मृत्यु उपरान्त उन्ही का कब्जा चला आ रहा है। उक्त के परिणाम स्वरूप सिद्वान्ततः यह माना जा सकता है कि वर्तमान में प्रतिपक्षी कम 7 का कब्जा विवादित आराजी पर है।

प्रार्थी न तो विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है और न ही उसका भूमि पर कब्जा प्रमाणित है । अभिलिखित खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत भी नहीं। प्रार्थी को अपरिमित क्षति होना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण के अन्य तथ्य साक्ष्य की विषय वस्तु है जिनका विनिश्चय दावें में तय किया जावेगा।

प्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर।

अतः **उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। दिनांक 08.01.2015 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है।**

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 1/15 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनाँक 27/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जयवन्ती डेंगाणा)
उपखण्ड अधिकारी
डीगोद

Scanned by CamScanner